

हमारी योजनाएँ

अल्पसंख्यकों से जुड़ी योजनाओं पर विवरण पुस्तिका



मिसाल की एक पहल

www.misaal.ngo

'Misaal Fellowship'

[Fellowship programme for activists working with the poorest]

1. **Misaal Fellowship** supports young grassroots activists and leaders, working with poorer communities from minority and similar marginalized backgrounds, to help mobilise them to obtain justice; access rights and entitlements; enable change, and better join the national mainstream – in other words, become empowered citizens! Coverage is districts, blocks and towns with large minority concentrations, prioritised in poorer northern/eastern states of UP and Bihar currently, but potentially also in other poor states. Currently we have 5 fellows each in UP (*Shamli, Bareilly, Faizabad, Jaunpur, and Banda districts*) and Bihar (*Patna, Bhagalpur, Sitamarhi, Madhubani, Darbhanga districts*).

2. What do Misaal fellows do?

Typically, fellows support poorest Muslim households to become aware of public and market opportunities, for income enhancement, education and health; and equip them to access those opportunities (through collectivizing, training, networking and advocacy). Specifically, they:

- Organise local communities of poorer Muslims and Dalits in the areas they work; with a preference for women, through public meetings and community dialogues; and training and awareness creation on pro-poor laws and entitlements, minority rights, secularism, and gender rights and methodologies, among others.
- advocacy with state actors, for realization of rights; leveraging pro-poor laws and schemes (such as Pension schemes, Minority scholarships, Right to Education Act, MG-NREGS and Right to Information Act, among others) and other forms of public action.
- engage with wider civil society (other NGOs, media and pro-poor networks), for experience sharing and learning, and to amplify voice
- Engage with markets, to identify and access potential opportunities for improved livelihoods for the poor, through skill development, micro-lending and market access.
- Communicate, through documenting experiences of community work, and of the challenges faced by their constituents in obtaining citizenship rights.

3. **Misaal National Resource Centre (NRC):** Support group

Supporting the fellows, is a management and mentoring team, based in Lucknow and Patna and in Delhi, providing resourcing, handholding, supervisory and capacity building support. NRC draws on support from like-minded organisations, to help fellows deliver their task of community capacity building, as well as documenting and communicating learnings to multiple audiences. Specifically, NRC's remit is to:

- Train, guide and mentor fellows to help them deliver tasks, and engage with society, through a structured programme of handholding and guidance, involving state level resources – supervisors and mentors, as well as national-level mentors and networks
- Link fellows to regional, state and national pro-poor resources and platforms

- Engage and advocate with state and civil society stakeholders, on policy and practice
- Create fellowship resource material – guidelines, how-tos, training modules.
- Knowledge-creation – tracking/documenting how programmes work for poor Muslims, drawing out lessons, communicating those to suitable audiences.
- Pilot new models of delivery for poorest Muslims, and draw lessons for wider application

Alongside, Misaal NRC is also working with a collective of research and advocacy groups in India and across South Asia (all 8 countries in SAARC), to produce two path-breaking annual reports on the condition of religious minorities – *India State of Minorities Report, 2016*, and *South Asia State of Minorities Report, 2016*, respectively, both aimed for release towards end 2016. These are the high-level policy end of our work.

4. **A year of seeding and learning, showing the way forward:**

It has been a year since we launched Misaal Fellowship, with the first batch of fellows inducted in April 2015. Since, we have succeeded in seeding the fellowship, with systems developed to effectively implement the fellowship and deliver results for communities.

Results: 2015-16

- Local communities made aware of social security and anti-poverty programmes
- Local communities organized – to raise voice for demanding benefits of programmes
- Volunteer groups established at each fellowship site – working with communities
- Tangible benefits of programmes to community: Pension schemes - old age, widow, disability; school admissions, scholarships; MG-NREGS; Labour insurance..
- State level platforms established in Lucknow and Patna, for minority rights advocacy
- Created knowledge – evaluations, reports – and used those for minority rights advocacy
- Partnerships forged with Action Aid India (Lucknow), National Campaign for Dalit Human Rights (Patna), Minority Rights Group International (London)

Future Plans: 2016-17

- Expand our fellowship work – launching fellowships in new minority concentrated districts (MCD) in UP and Bihar and additionally Assam and West Bengal - the other states with large population of poor Muslims.
- Pilot innovative projects for poorest Muslims – (eg. livelihood projects for artisans; women’s SHGs; projects for out-of-school children, and those for girls’ education).

Ultimately, we want to grow to be the go-to place for rights of minorities and excluded groups in India, training and capacity building local communities, modeling innovative ways of delivery, and creating new knowledge.

विषयसूची

अनुभाग-1 शिक्षा

1.1 छात्रवृत्ति

- अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना
 - प्री-मैट्रिक.....7
 - पोस्ट-मैट्रिक.....8
 - मेरिट और मीन्स के आधार.....9

1.2 शिक्षा की गुणवत्ता – मॉडल स्कूलों में प्रवेश के माध्यम

- जवाहर नवोदय विद्यालय.....10
- कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय.....11
- आरटीई (शिक्षा का अधिकार).....12

अनुभाग -2 : आजीविका

- मनरेगा.....14
- एन आर एल एम्/ आजीविका.....15
- एन यु एल एम्16
- सीखो और कमाओ.....17
- स्किल इंडिया/ प्रधानमंत्री कौशल विकास.....18

अनुभाग -3 : आवास & अन्य सुविधाये

- प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (इंदिरा आवास योजना).....21
- प्रधानमंत्री जन धन योजना.....22

अनुभाग-4 : सामाजिक सुरक्षा

- राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (PDS).....24
- प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना.....26
- राष्ट्रिय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP)
 - इंदिरा गांधी राष्ट्रिय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS).....27
 - इंदिरा गांधी राष्ट्रिय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS).....27
 - इंदिरा गांधी राष्ट्रिय विकलांगता पेंशन योजना (IGNDPS).....27
 - राष्ट्रिय परिवार लाभ योजना (NFBS):.....27
 - अन्नपूर्णा योजना.....28
 - इंदिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना.....29

अनुभाग -5 : अल्पसंख्यकों के लिए क्षमता विकास

- नई रौशनी.....31
- एम् एस डी पी.....32
- प्रधानमंत्री 15 सूत्रीय कार्यक्रम.....33

अनुभाग -6 : बेहतर परिणामों के लिए राज्य की योजनाये

- समाजवादी पेंशन योजना (उ.प्र.).....35

अनुभाग -7 : शिकायत निवारण तंत्र

- सूचना का अधिकार (आर टी आई).....36
- लोक शिकायत निवारण पोर्टल (पी.जी.पोर्टल).....38
- तहसील दिवस (उ.प्र.).....39
- बिहार जन सेवा का अधिकार अधिनियम 2011.....40

योजनाएँ एवं उनकी स्थानीय एजेंसियाँ.....41

Foreword

This volume is meant to be a helpful guide for Misaal fellows and associates, to use in their struggles to educate, organise and enable the community at large to access rights – laws, services and entitlements - and become empowered citizens. The volume is, accordingly, set up to perform that role. It is organised in sections, each on a specific public programme broken down by schemes. These are mostly universal, that all citizens of the country can access, although there are some ‘minority’ specific schemes too. The national government is the sponsor (and provider) of most social sector programmes, although states too have their specific interventions, some more, some less.

Taken together, the main thematic focus of this handbook, representing Misaal’s own thematic focus, is about education, health, livelihoods, services and social security – pensions, food security, and such like. The volume provides information on public schemes relating to those sectors. Given Misaal’s concerns, the volume also covers public programmes that seek to ‘develop’, ‘capacity build’, and ‘empower’ minority communities and areas. And finally, the volume, in order to provide practical solutions, also catalogues the various programmes available for grievance redressal.

In seeking to act as a helpful guide for action, the various scheme narratives are structured by bits of information that users will most need and use. These, in our case, are: brief description of the scheme, including the entitlements they provide; eligibility criteria, if any, for accessing the scheme; application process; documents required to be enclosed; and finally state actors responsible for implementing the particular schemes. Helpful tools, such as application format, templates for affidavits required, or certificate templates are also included. Where complaints and grievance redressal procedures exist, these have also been included. The purpose, as stated, is to make the volume as useful a tool for action, as possible. We hope it serves that purposes.

Finally, a disclaimer. All information contained in the volume has been accessed from public sources, mostly websites, of relevant programmes and schemes. At many places, we have used sections from these sources, verbatim. On these occasions and also where we have based our narrative extensively on published sources, we have provided links to those sources. Regardless, the source of all of our material is descriptions of public programmes provided by concerned government authorities. Descriptions change from time to time, and therefore, it is possible that some information in this volume could be out of date. We hope to update those periodically, in subsequent editions of this handbook.

शिक्षा

प्री-मेट्रिक छात्रवृत्ति

वेबसाइट

:

<https://www.schola>

[rships.gov.in/](https://www.scholarships.gov.in/)

|

हेल्पलाइन: 0120- 6619540, 1800112001

यह छात्रवृत्ति भारत सरकार द्वारा शिक्षा में प्रोत्साहन के लिए कक्षा 10 से कक्षा 1 वी तक के बच्चों को दी जाएगी छात्रवृत्ति के %30 छात्रों के लिए निर्धारित किया जाएगा।

पात्रता:

छात्रवृत्ति के लिए वही छात्र पात्र होंगे जो पिछली परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त किया हो और उनके अभिवाहक की वार्षिक आय 1 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए।

पात्रता की पुष्टि करने के लिए, <https://www.scholarships.gov.in/schemeEligibilityPage>

चयन: एक वर्ष में उपलब्ध अल्पसंख्यकों के लिए छात्रवृत्तियों की संख्या तय और सीमित है इसके चयन के लिए वरीयता रखना आवश्यक है। परस्पर चयन वेटेज के निशान के बजाय गरीबी के आधार पर दिया जा रहा है। यदि, नवीकरण (रिन्यूअल) के लिए अर्जी आती है तो वह अर्जियां पहले पूरी की जायेंगी।

अवधि:

छात्रवृत्ति के पूरे पाठ्यक्रम के लिए प्रदान किया जाएगा। रखरखाव भत्ता केवल एक शैक्षणिक वर्ष में 10 महीने के लिए दिया जाएगा।

आवेदन कैसे करें:

आवेदक इस वेबसाइट <https://www.scholarships.gov.in/> को विजिट करे तथा दिए हुए निर्देश का पालन करे, आवेदन फार्म से 17-2016 प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। पूरी दिशानिर्देश वेबसाइट पर उपलब्ध है:- www.scholarships.gov.in/public/schemeGuidelines/NSP2.0OperationManualDraftII.pdf

आवश्यक दस्तावेज़:

1. आधार कार्ड-
2. पिछले साल की मार्कशीट
3. वर्तमान सत्र की फ़ीस रसीद
4. अभिवाहक का आय प्रमाण पत्र-
5. बैंक पासबुक-
6. फोटोग्राफ
7. निवास प्रमाण पत्र-
8. छात्र के स्व प्रमाणित की वो अल्पसंख्यक समुदाय से है

छात्रवृत्ति का नवीकरण :

छात्रवृत्ति, एक बार प्राप्त हो चुका है , और पिछले परीक्षा में कम से कम %50 अंक हासिल किये हो तो निश्चित रूप से निचे दिए गए वेबसाइट पे विजिट करके इसका नवीनीकरण किया जा सकता है: <https://www.scholarships.gov.in/>

हेल्पलाइन : आवेदक अपने नजदीकी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में संपर्क कर सकता है या निचे दिए हुए नम्बरों पर संपर्क कर सकता है 0120- 6619540, 1800112001

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना-

वेबसाइट : <https://www.scholarships.gov.in/>

|

हेल्पलाइन: 0120- 6619540, 1800112001

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति सरकारी या निजी उच्च माध्यमिक विद्यालय विश्वविद्यालय में भारत में / महाविद्यालय / अध्ययन के लिए सम्मानित किया जा रहा है, इसमें सरकारी या मान्यता प्राप्त आवासीय विद्यालय भी शामिल है।

पात्रता:

छात्रवृत्ति के लिए वही छात्र पात्र होंगे जो पिछली परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त किया हो और उनके अभिवाहक की वार्षिक आय 2 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। पात्रता की पुष्टि करने के लिए, <https://www.scholarships.gov.in/schemeEligibilityPage> पर विजिट करें।

चयन :

- बीपीएल परिवारों से छात्र, सबसे कम आय होने के आरोही क्रम में प्राथमिकता दी जाएगी। यदि, नवीकरणके (रिन्यूअल) लिए अर्जी आती है तो वह अर्जियां पहले पूरी की जायेंग। एक परिवार के से 2अधिक सदस्यों को छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी।
- अवधि :
- छात्रवृत्ति के पूरे पाठ्यक्रम के लिए प्रदान किया जाएगा. रखरखाव भत्ता केवल एक शैक्षणिक वर्ष में महीने के 10 लिए दिया जाएगा।
- आवेदन कैसे करें :
- आवेदक इस वेबसाइट <https://www.scholarships.gov.in/> को विजिट करे दिए हुए निर्देश आवेदन फार्म का 17-2016 पालन करे, प्रक्रिया ऑनलाइन कर दिया गया है. पूरी दिशा निर्देश वेबसाइट पर-
on: www.scholarships.gov.in/public/schemeGuidelines/NSP2.0OperationManualDraftII.pdf

आवश्यक दस्तावेज़:

1. छात्र का फोटोग्राफ
2. संस्थान द्वारा सत्यापन फार्म
3. छात्र द्वारा स्व पत्र-प्रमाणित आय प्रमाण-
4. छात्र के स्व प्रमाणित की वो अल्पसंख्यक समुदाय से है.
5. पिछले सत्र की मार्कशीट.
6. वर्तमान सत्र की फीस रशीद
7. छात्र के नाम का बैंक पासबुक
8. आधार कार्ड
9. निवास प्रमाण पत्र-

छात्रवृत्ति का नवीकरण :

छात्रवृत्ति, एक बार प्राप्त हो चुका है , और पिछले परीक्षा में कम से कम %50अंक हासिल किये हो तो निश्चित रूप से निचे दिए गए वेबसाइट पे विजिट करके इसका नवीनीकरण किया जा सकता है: <https://www.scholarships.gov.in/>
हेल्पलाइन : आवेदक अपने नजदीकी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में संपर्क कर सकता है या निचे दिए हुए नम्बरों पर संपर्क कर सकता है 0120 – 6619540, 1800112001

मेरिट एवं संसाधन के आधार पर छात्रवृत्ति

वेबसाइट: <https://www.scholarships.gov.in/>

हेल्पलाइन: 0120- 6619540, 1800112001

इस योजना का उद्देश्य व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें सक्षम करने के लिए अल्पसंख्यक समुदायों के गरीब और मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। हर साल 20000 छात्रवृत्ति पूरे देश में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को इन समुदायों की राज्यवार जनसंख्या के आधार पर कर रहे हैं के बीच वितरित किया जाता है

Hostellers को 30,000 प्रति वर्ष मिलेंगे और Day Scholars रखरखाव भत्ता और कोर्स की फीस के रूप में 25,000

छात्रवृत्ति के लिए शर्तें:

- i) वित्तीय सहायता के लिए एक मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक स्तर परस्नातक , तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए दिया जायेगा।
- ii) जो छात्र technical/professional कोर्स में प्रतियोगिक परीक्षा क आधार पर दाखिला पायेंगे, उनके लिए भी यह छात्रवृत्ति मान्य होगी।
- iii) जो छात्र कभी किसी प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया हो हो छात्र भी इसका पात्र है बशर्ते हायर सेकेंडरी, स्नातक में उसका अंक 50% से कम ना हो इन छात्रों का चयन योग्यता के आधार पर कड़ाई से किया जायेगा।
- iv) आगे के वर्षों में छात्रवृत्ति का सिलसिला पिछले वर्ष के दौरान पाठ्यक्रम के सफल समापन पर निर्भर करेगा।
- (v) इस योजना के तहत एक छात्रवृत्ति धारक किसी अन्य छात्रवृत्ति / वजीफा के लिए पात्र नहीं होगा।
- vi) लाभार्थी / माता-पिता या लाभार्थी के अभिभावक की वार्षिक आय सभी स्रोतों से 2.50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। आय प्रमाण पत्र एक वर्ष के लिए वैध रहेगा।

आवेदन कैसे करे:

आवेदक इस वेबसाइट <https://www.scholarships.gov.in/> को विजिट करे दिए हुए निर्देश आवेदन फार्म का 17-2016 पालन करे, प्रक्रिया ऑनलाइन कर दिया गया है. पूरी दिशानिर्देश वैबसाइट पर उपलब्ध हैं-
www.scholarships.gov.in/public/schemeGuidelines/NSP2.0OperationManualDraftII.pdf

आवश्यक दस्तावेज़:

1. छात्र का फोटोग्राफ
2. संस्थान द्वारा सत्यापन फार्म
3. छात्र द्वारा स्व पत्र-प्रमाणित आय प्रमाण-
4. छात्र के स्व प्रमाणित की वो अल्पसंख्यक समुदाय से है.
5. पिछले सत्र की मार्कशीट.
6. वर्तमान सत्र की फीस रशीद
7. छात्र के नाम का बैंक पासबुक
8. आधार कार्ड
9. निवास प्रमाण पत्र-

हेल्पलाइन :आवेदक अपने नजदीकी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में संपर्क कर सकता है या निचे दिए हुए नम्बरों पर संपर्क कर सकता है 0120 – 6619540, 1800112001

जवाहर नवोदय विद्यालय

वेबसाइट : <http://nvshq.org/>

जवाहर नवोदय विद्यालय सरकार से एक प्रयास शिक्षा की गुणवत्ता में निजी स्कूलों और सरकारी स्कूलों (जेएनवी) द्वारा प्रदान की बीच की खाई को खत्म करने के लिए है। यह ग्रामीण पृष्ठभूमि से मुख्य प्रतिशत का कोटा के साथ 75 प्रतिशत शहरी 25 रूप से बच्चों को जोड़ने जबकिबच्चों के लिए आरक्षित है जवाहर नवोदय है एक आवासीय सेट अप, बेस्ट करने के लिए तुलनीय एक निजी आवासीय स्कूल प्रणाली में, गुणवत्ता की शिक्षा के साथ बच्चों को प्रदान करते हैं और कोई भी कीमत के साथ शामिल किया गया। ,प्राइवेट स्कूलों की तुलना में अच्छी निति है इस स्कूल में कोई फीस नहीं ली जाती है इस साल कक्षा बच्चे 251 से 12JEE परीक्षा में शामिल हुए जिनमे छात्र सफल रहे। 238 के माध्यम से कक्षा छठी में प्रवेश ले जवाहर नवोदय सभी जिलों में फैला हुआ है और छात्रों की कुल चयन परीक्षा 598 सकते हैं। हर स्कूल में कक्षाछठी में है एक तिहाई सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित हैं . सिट है 80

प्रवेश के लिए पात्रता: (सत्र 17-2016-के लिए)

- उम्र साल के बिच होनी चाहिए 10 (आवेदन के वर्ष के अनुसार आयु सत्यापित करे
- वर्तमान सत्र में ही कक्षा वी का छात्र हो5
- सरकारी या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल का ही छात्र होना चाहिए
- जिस जिले से आवेदन जमा होगा वो उसी जिले का होना चाहिए

आवेदन फार्म प्राप्त करने का स्थान :

- ब्लाक शिक्षा अधिकारी (BEO) या जिला शिक्षा अधिकारी (DEO)
- जहा पर छात्र अध्ययनरत है उस स्कूल के प्रधानाचार्य से प्राप्त कर सकते है
- प्रधानाचार्य (JNV)
- वैकल्पिक रूप से, फार्म और अन्य प्रारूपों यहाँ डाउनलोड किया जा सकता है (<https://goo.gl/Nccv1V>)

आवेदन –पत्र जमा करने का तरीका

विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र में 16 वीं सितंबर 2016 तक ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नवीनतम पहुँचना होगाके पास जमा करना होगा जहा पर छात्र अध्ययनरत है वह के प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणित होना चाहिए छात्रों को सलाह है ब्लाक शिक्षा अधिकारी के पास आवेदन फार्म जमा करते समय पावती पत्र अवश्य ले .

महत्वपूर्ण तिथि :

फार्म जमा : सितम्बर | परीक्षा : जनवरी | परिणाम : अप्रैल के पहले हफ्ते में

टेस्ट की संरचना :

चयन परीक्षा दो घंटे की अवधि का हो जाएगा और केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 3वर्गों के लिए होगा। इसमें 100 सवाल कर रहे हैं। छात्र हिंदी 100 अंकों के सभी में, अंग्रेजी या उर्दू में परीक्षा दे सकते हैं,

परीक्षण के प्रकार	प्रश्नों की संख्या	अंक	अवधि
मानसिक क्षमता का परीक्षण	50	50	60 मिनट
अंकगणित टेस्ट	25	25	30 मिनट
भाषा की परीक्षा	25	25	30 मिनट
कुल योग -	100	100	2 घंटे

अधिक जानकारी के लिए विवरण पत्रिका डाउनलोड कर सकते है <http://goo.gl/mokMiW/>

कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना एक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए मुख्य रूप से संबंधित लड़कियों के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर आवासीय विद्यालयों की स्थापना के लिए जुलाई 2004 में शुरू की गयी है। इस योजना को देश के शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में लागू किया जा रहा है, जहां महिला साक्षरता ग्रामीण साक्षरता में राष्ट्रीय औसत से नीचे है और लैंगिक अंतर राष्ट्रीय औसत से ऊपर है। इस योजना में 75% अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक समुदायों और शेष 25% गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों से लड़कियों के लिए दी है।

2578 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में भारत सरकार द्वारा मंजूर किए गए थे। इनमें से 427 मुस्लिम बहुल एरिया में 612 अनुसूचित जनजाति 688, अनुसूचित जाती बहुल ब्लाक , कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय अनुसूचित जनजाति ब्लॉक, अनुसूचित जाति ब्लॉक में 688 में मुस्लिम एकाग्रता ब्लॉक में मंजूर किया गया है 612। 750 आवासीय विद्यालय के कुल शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में खोले जाएंगे। 750 आवासीय विद्यालय के कुल शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में खोले जाएंगे।

केजीबीवी में देय निःशुल्क प्रावधान :-

- सभी बालिकाओं को आवास
- पुस्तकें तथा शिक्षण सामग्री
- स्कूल यूनिफार्म, स्वेटर, जूते-मोज़े
- दैनिक उपयोग वस्तुओं तथा साबुन, तेल, तोलिया, टूथ-पेस्ट, कंधा, चप्पल, सेनेटरी नेपकिन इत्यादि।
- प्रतिमाह 100/- बालिकाओं के व्यक्तिगत बैंक खाते में जमा

पात्रता: दाखिला केवल Class-VI में ही लिया जा सकता है।

आवश्यक दस्तावेज़:

1. 2 फोटोग्राफ
2. पिछले वर्ष की मार्कशीट
3. जन्म प्रमाण- पत्र
4. आधार कार्ड
5. बी पी एल प्रमाण-पत्र
6. शपथ पत्र की किसी दुसरे स्कूल में प्रवेश नहीं लिया है

आवेदन कैसे करें: एक उम्मीदवार स्कूल से फार्म प्राप्त जमा कर सकते हैं। सीटों और पात्रता की उपलब्धता के आधार पर, स्कूल द्वारा प्रवेश दी जा सकती है

शिक्षा का अधिकार

Website_ :<http://mhrd.gov.in/rte>

संविधान (अस्सी छठे संशोधन) अधिनियम, 2002 के अनुच्छेद डाला भारत के संविधान में 21-एक राज्य के रूप में इस तरह के एक तरीके में एक मौलिक अधिकार के रूप में छह से चौदह वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए कानून के अनुसार, निर्धारित कर सकते हैं। के लिए निः शुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बच्चे के अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 है, जो अनुच्छेद 21 ए के तहत परिकल्पित परिणामी विधान का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका मतलब है कि हर बच्चे को एक औपचारिक स्कूल में संतोषजनक और न्यायसंगत गुणवत्ता का पूरा प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत :

- एक पड़ोस के स्कूल में प्राथमिक शिक्षा के पूरा होने तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के लिए बच्चों का अधिकार
- यह स्पष्ट किया है कि 'अनिवार्य शिक्षा' सरकार का दायित्व है मुफ्त प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने और छह को चौदह वर्ष की आयु के छात्रों का प्रवेश अनिवार्य होना ,
- यह प्रक्रिया उचित वर्ग के दाखिले के लिए है
- RTE अध्यापक-शिष्य के बीच के औसत, ईमारत अवं सुविधाओं, कार्य के दिनों अवं समय को चिन्हित करता है।
- RTE उचित रूप से प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों के चयन के मापदंड तय करता है।
- यह (क) शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न; (ख) बच्चों के प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया; (ग) कैपिटेशन फीस; (घ) शिक्षकों द्वारा निजी शिक्षण और (ड) मान्यता के बिना चल रहे स्कूलों की पर प्रतिबंध लगाता है;
- और यह सब संयुक्त राष्ट्र के सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों और अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर (जैसे केन्द्रीय विद्यालयों, नवोदया , सैनिक स्कूलों के रूप में) निर्दिष्ट श्रेणी में उन लोगों के सहायता प्राप्त, प्रवेश स्तर पर छात्रों की कम से कम 25 प्रतिशत करने के लिए निः शुल्क शिक्षा प्रदान करनी चाहिए।

अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट लगिन कर सकते हैं : <http://mhrd.gov.in/rte>

आजीविका

मनरेगा

वेबसाइट: <http://www.nrega.nic.in/netnrega/home.aspx>

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (नरेगा) किसी भी ग्रामीण घरेलू जिसका वयस्क सदस्य अकुशल हाथ से काम करने को तैयार हैं करने के लिए एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार गारंटी देता है।

प्रमुख विशेषताएँ:

पात्रता: कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु से ऊपर है और ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है काम के लिए आवेदन करने का हकदार है।

हकदारी: किसी भी आवेदक को 15 दिनों के भीतर काम करने के लिए के रूप में कई के रूप में वह / वह आवेदन किया है प्रति वर्ष प्रति परिवार 100 दिनों की सीमा के अधीन हकदार है।

दूरी : काम आवेदक के निवास यदि संभव हो तो के 5 किलोमीटर के दायरे के भीतर प्रदान की जानी है, और ब्लॉक के भीतर किसी भी मामले में। काम 5 किलोमीटर की दूरी से परे प्रदान की जाती है, यात्रा भत्ते का भुगतान किया जाना है।

मजदूरी : श्रमिक सांविधिक न्यूनतम मजदूरी राज्य में कृषि श्रमिकों के लिए लागू करने के हकदार हैं, जब तक और जब तक केन्द्र सरकार "सूचित करता है" एक अलग मजदूरी दर। , तो मजदूरी दर रुपये की एक न्यूनतम के अधीन है। 60 प्रति दिन।

समय पर भुगतान: श्रमिक साप्ताहिक भुगतान किया जाना है, या किसी भी मामले में बाद में नहीं । मजदूरी का भुगतान पूर्व की घोषणा की तारीखों पर समुदाय के स्वतंत्र व्यक्तियों की उपस्थिति में संबंधित व्यक्ति को सीधे दिया जाये।

बेरोजगारी भत्ता: काम 15 दिनों के भीतर प्रदान नहीं की है, तो आवेदकों को बेरोजगारी भत्ता के हकदार हैं पहले तीस दिनों के लिए मजदूरी दर का एक तिहाई है, और एक उसके बाद आधा।

कार्यस्थल सुविधाएं: श्रमिकों को स्वच्छ पेयजल, आराम करने के लिए शेड , आपातकालीन स्वास्थ्य देखभाल के लिए छाया, और बच्चे के लिए काम कर के रूप में कार्यस्थल पर विभिन्न सुविधाओं के हकदार हैं।

काम पाने के लिए क्या करे: किसी भी व्यक्ति को काम करने के लिए काम की मांग ग्राम पंचायत के लिए एक आवेदन करना चाहिए। उसे जॉब कार्ड जारी होगा फिर जाब कार्ड के आधार पर काम मांग सकता है।

आवश्यक दस्तावेज़:

1. फोटोग्राफ
2. आधार-कार्ड
3. बैंक अकाउंट

सुधार के लिए शिकायत: एक व्यक्ति को काम या जॉब कार्ड नहीं मिल रहा है तो ब्लॉक पंचायत, कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा, जिला कार्यक्रम समन्वयक के जिला पंचायत संपर्क कर सकते हैं।

वैकल्पिक रूप से, वेबसाइट पर जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं:

<http://164.100.129.6/netnrega/statepage.aspx?check=pgr&lvl=citizen&Digest=Ah5boauEAQAnYfahMV B4jw>

दीनदयाल अन्त्योदय योजना

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)

वेबसाइट : <http://aajeevika.gov.in/>

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) एक गरीबी उन्मूलन ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की परियोजना है। इस योजना को स्व-रोजगार और ग्रामीण गरीबों के संगठन को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया है। इस कार्यक्रम के पीछे मूल विचार एसएचजी (स्वयं सहायता समूह) में गरीबों को संगठित करने और उन्हें स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाना है।

कौन एनआरएलएम के तहत लाभ के लिए पात्र हैं ?

एनआरएलएम लक्ष्य परिवारों (NTH) गरीब की भागीदारी पहचान (पीआईपी) के बजाय बीपीएल के माध्यम से पहचाने जाते हैं। PIP एक समुदाय संचालित प्रक्रिया है जहाँ सीबीओ खुद को गांव गांव में जाकर पता करते हैं की गरीब कौन है। सीबीओ द्वारा गरीबों की पहचान कर सूची ग्राम सभा जारी किया जाता है।

समूह के कार्य क्या हैं ?

स्वयं सहायता समूहों को समानता के आधार पर बचत और ऋण समूहों के साथ शुरू कर रहे हैं। वे एकजुटता की पेशकश करते हैं। वे सूक्ष्म वित्त सेवाएं प्रदान करते हैं - बचत, क्रेडिट, बैंक लिंकेज, बीमा, प्रेषण, इन्विटी इत्यादि. यह सामूहिकरण और समूह की गतिविधियों की पेशकश करते हैं. स्वयं सहायता समूहों को सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य, पोषण, भोजन, लिंग, अभिसरण आदि सहित विभिन्न मोर्चा, सीधे या उनके महासंघों के माध्यम से सामाजिक कार्य करते हैं।

SHG NRLM कैसे काम करता है?

गरीबों के स्वयं सहायता समूहों को समर्थन ज्ञान, कौशल, फंड, बैंक लिंकेज और ब्याज सहायता के संदर्भ में है. , उनके संस्थानों के प्रबंधन, उनके क्रेडिट अवशोषण क्षमता और ऋण पात्रता बढ़ाने के बाजारों के साथ जोड़ने, उनके मौजूदा आजीविका प्रबंध: एनआरएलएम सुनिश्चित करता है कि गरीबों के लिए सदस्यों, नेताओं और स्वयं सहायता समूहों की बहीखातालेखकों के लिए अपेक्षित ज्ञान और कौशल के साथ प्रदान की जाती हैं आदि।

क्या अन्य उपायों एनआरएलएम वित्तीय समावेशन की दिशा में ले लिया है?

एनआरएलएम स्वयं सहायता समूहों को खोलने के लिए और बैंक खातों और बैंक लिंकेज संचालित करने की सुविधा देता है । सदस्यों को बीमा के लिए भी की सुविधा। यह बैंक खातों को खोलने के लिए प्रोत्साहित करती है

NRLM ग्रामीण स्व रोजगार प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को प्रोत्साहित किया जाता है. देश के सभी जिलों में ग्रामीण विकास स्वरोजगार संस्थान (आरयूडीएसईटीआई) स्व-रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मॉडल की लाइन तर्ज पर

अधिक जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं: http://msrils.nic.in/documents/6_PIP-NRLM.pdf

दीनदयाल अन्तयोदय योजना

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयुएलएम)

वेबसाइट : <http://nulm.gov.in/>

NULM, लाभकारी स्वरोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार के अवसर का उपयोग करने के लिए उन्हें सक्षम करने के लिए एक स्थायी आधार पर उनकी आजीविका में एक सराहनीय सुधार में जिसके परिणामस्वरूप द्वारा गरीबी और शहरी गरीब परिवारों के समस्याओं को कम करना है, जमीनी स्तर के संस्थानों के निर्माण के माध्यम से गरीबों की सक्षम बनाना. चरणबद्ध तरीके से शहरी बेघर को आवश्यक सेवाएं प्रदान करना है। इसके अलावा, मिशन बाजार में सड़क किनारे के विक्रेता के लिए उपयुक्त रिक्त स्थान, संस्थागत ऋण, सामाजिक सुरक्षा और कौशल के की सुविधा से शहरी सड़क विक्रेताओं की समाधान का प्रयास किया जायेगा।

एनयुएलएम रणनीति:

1. शहरी गरीबों, उनके संस्थानों की क्षमता निर्माण और मशीनरी सहारा के माध्यम से आजीविका विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में शामिल किया गया।
2. शहरी गरीबों के मौजूदा आजीविका के विकल्प का विस्तार
- 1 निर्माण कौशल- बढ़ते बाजार के आधार पर शहरी नौकरी उभरती उभरती अर्थव्यवस्थाओं के अवसरों उपयोग करने के लिए सक्षम सक्षम बनाना
- 2 आत्म और समूह - द्वारा शहरी गरीबों सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए के लिए प्रशिक्षण और समर्थन
- 3 पानी की आपूर्ति, स्वच्छता, सुरक्षा और सुरक्षा जैसे बुनियादी ढांचागत सुविधाओं सहित स्थायी 24 घंटे आश्रयों के लिए शहरी बेघर आबादी के लिए उपयोग सुनिश्चित करना
- 4 शहरी बेघर में विशेष रूप से कमजोर तबके, वृद्ध, विकलांग, मानसिक रूप से बीमार हैं, और उबरने के रोगियों आदि की जरूरतों को पूरा करना
- 5 अन्य कार्यक्रमों जो भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, आदि के लिए शहरी बेघर का सही कवर और विभिन्न हकों को बेघर आबादी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन को शामिल करने के लिए उपयोग सुनिश्चित करने के साथ मजबूत अधिकार आधारित संपर्क स्थापित करने के लिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आईसीडीएस, कार्यक्रमों खिला, पीने के पानी, साफ-सफाई, पहचान, वित्तीय समावेशन, स्कूल में दाखिले आदि, और किफायती आवास के लिए।
- 6 उभरते बाजार के अवसरों तक पहुँचने के लिए शहरी सड़क विक्रेताओं के लिए उपयुक्त रिक्त स्थान, संस्थागत ऋण, सामाजिक सुरक्षा और कौशल के लिए उपयोग की सुविधा से शहरी सड़क विक्रेताओं की आजीविका की चिंताओं का समाधान करने के लिए।

सीखो और कमाओ LEARN AND EARN)

वेबसाइट: <http://www.seekhoaurkamao-moma.gov.in/>

"सीखो और कमाओ (Learn & Earn)"- अल्पसंख्यकों के कौशल विकास के लिए योजना उनकी शैक्षिक योग्यता, वर्तमान आर्थिक प्रवृत्तियों और बाजार की क्षमता के आधार पर विभिन्न आधुनिक / परंपरागत व्यवसायों में अल्पसंख्यक युवाओं के कौशल उन्नयन के लिए करना है। इस योजना को रोजगार मिल रहा है और उन्हें स्वरोजगार के कौशल के आधार पर करने के लिए पात्र बनाने के लिए अल्पसंख्यक समुदायों में मदद करता है।

यह योजना मॉड्यूलर रोजगार कौशल (एमईएस) जो भारत के राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी) द्वारा अनुमोदित कर करने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किया। एनसीवीटी द्वारा अनुमोदित एमईएस पाठ्यक्रम परंपरागत कौशल के बहुमत अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा अभ्यास किया जा रहा है। शामिल पाठ्यक्रमों कढ़ाई, चिकनकारी, जरदोजी, चिथड़े, रत्न और आभूषण, बुनाई, लकड़ी के काम करता है, चमड़े का सामान, पीतल धातु काम करता है, ग्लास माल, कालीन आदि एनसीवीटी द्वारा अनुमोदित अन्य पाठ्यक्रमों में भी एक विशेष राज्य या क्षेत्र में ले जाया जाएगा यह मांग और स्थानीय बाजार की क्षमता पर निर्भर करता है।

पात्रता:

- आवेदक की उम्र 14 से 35 वर्ष के बिच में ही होनी चाहिए
- आवेदक अल्पसंख्यक समुदाय का होना चाहिए
- कम से कम 5 वी पास होना चाहिए

योजना की मुख्य विशेषताएं:

1. प्रशिक्षण कार्यक्रम की न्यूनतम अवधि कम से कम 3 महीने का है।
2. यह प्रशिक्षण नरम कौशल प्रशिक्षण, बुनियादी आईटी प्रशिक्षण और बुनियादी अंग्रेजी प्रशिक्षण भी शामिल है।
3. इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य युवाओं के लिए लाभकारी और स्थायी रोजगार के लिए है।
4. छात्र / उम्मीदवार / ट्रेनी क्षेत्र विशेष व्यावसायिक कौशल कार्यक्रम के विकल्पों में से योग्यता और क्षमता के आधार पर चयन किया जाता है।
5. इसका फोकस मुख्य रूप से उद्योग के रूप में आवश्यकता के अनुसार है।
6. आधुनिक कौशल के लिए कौशल प्रशिक्षण 75% प्लेसमेंट के न्यूनतम के रूप में आउटपुट देना चाहिए और कहा कि कम से कम 50% प्लेसमेंट से बाहर संगठित क्षेत्र में होना चाहिए।

कैसे आवेदन करे:

उम्मीदवार इसे करने के लिए किसी से भी संपर्क कर सकते हैं

1. जिला कलेक्टर
2. उपायुक्त
3. उप जिला अधिकारी
4. खंड विकास अधिकारी

अधिक जानकारी के लिए लाग इन करे:

1. Hindi (http://www.seekhoaurkamao-moma.gov.in/WriteReadData/learnandearn_hindi.pdf)
2. English (<http://www.newincept.com/seekho-aur-kamao-learn-earn-the-scheme-for-skill-development-of-minorities.html>)

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)

वेबसाइट: <http://pmkvyofficial.org/> और <http://msde.gov.in/pmkvy.html>

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY). कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) की प्रमुख योजना है इस कौशल प्रमाणन योजना का उद्देश्य उद्योग प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण के लिए उन्हें एक बेहतर आजीविका हासिल करने में मदद मिलेगी कि लेने के लिए भारतीय युवाओं की एक बड़ी संख्या के लिए सक्षम है। पूर्व शिक्षा अनुभव या कौशल के साथ व्यक्तियों को भी आकलन किया और पहले सीखना को मान्यता के तहत प्रमाणित किया (आरपीएल) जाएगा। इस योजना के तहत प्रशिक्षण और मूल्यांकन की फीस पूरी तरह से सरकार द्वारा भुगतान किया जाता है।

पात्रता:

- पहली बार काम कर रहा हो
- कक्षा 10 या 12 छोड़ने वाले बच्चों
- आवेदक के पास आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड या चुनाव कार्ड होना चाहिए

जो प्रशिक्षण प्रदान करेगा:

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) 187 प्रशिक्षण सहयोगियों के साथ

- इन भागीदारों कुल में 2300 प्रशिक्षण केंद्र हैं
- केंद्र और राज्य संबद्ध प्रशिक्षण प्रदाताओं

पाठ्यचर्या: इस योजना के तहत प्रशिक्षण के लिए आवश्यक कौशल से अलग निम्नलिखित पर दिया जाएगा:

- सॉफ्ट स्किल्स
- काम की नैतिकता
- व्यक्तित्व विकास
- व्यवहार विकास
- साफ-सफाई और अन्य

PMKVY रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया - कैसे आवेदन करे ?

चरण 1: एक प्रशिक्षण केन्द्र का पता लगाएं

- सबसे पहले आप प्रशिक्षण केंद्र खोजने की जरूरत है जो की प्रशिक्षण प्रदान करता है
- एक बार जब आप उस पृष्ठ पर हैं, आप विभिन्न तरीकों से प्रशिक्षण केंद्र के लिए खोज सकते हैं आप खोज सकते हैं -

- क्षेत्र द्वारा, स्थान के आधार पर, द्वारा क्षेत्र और स्थान & द्वारा प्रशिक्षण साथी
- आपको विकल्प दिया जायेगा आप अपनी सुविधानुसार चयन करे राज्य, जिला व क्षेत्र का चयन करें और अब ढूँढें पर क्लिक करें आप संपर्क जानकारी के साथ प्रशिक्षण केन्द्रों की सूची देखेंगे

चरण 2: कौशल सीखे

- एक बार जब आप प्रशिक्षण केंद्र की पहचान की है, उन्हें संपर्क करें और अपने वांछित कौशल सीखना शुरू करे

चरण :3 दाखिल

- प्रशिक्षण केंद्र के माध्यम से आप नामांकित किया जाएगा। आपके विवरण डेटाबेस के लिए प्रस्तुत किया जाएगा

चरण :4 मूल्यांकन और प्रमाणित किया

- अपने पाठ्यक्रम के अंत में, आकलन एजेंसी आप का आकलन करेंगे
- आप मूल्यांकन प्रक्रिया से गुजरती हैं और एक वैध आधार कार्ड है, तो एक सरकारी प्रमाण पत्र और कौशल कार्ड आप के लिए दिया जाएगा

चरण :5लाभ एक इनाम

- आकलन में पासिंग आप मौद्रिक पुरस्कार यानी आप पाठ्यक्रम के सफल समापन के बाद पैसा मिल जाएगा। राशि आपके बैंक खाते में सीधे हस्तांतरित किया जाएगा।

नीचे मौद्रिक पुरस्कार का ब्यौरा प्रस्तुत किया जा रहे हैं।

	कौशल प्रशिक्षण के लिए		सीखने से पहले के लिए	
NSQF Level	विनिर्माण, पाइपलाइन, निर्माण क्षेत्र	अन्य क्षेत्र	विनिर्माण, पाइपलाइन, निर्माण क्षेत्र	अन्य क्षेत्र
Level 1 & 2	7,500	5000	2,500	2000
Level 3 & 4	10,500	7,500		
Level 5 & 6	12,500	10,000		

हेल्पलाइन :

सरकारी हेल्पलाइन इच्छुक व्यक्तियों मदद करने के लिए संबंधित विभाग द्वारा स्थापित किया गया है।
PMKVY Toll Free Number – 08800055555

विस्तृत जानकारी के लिए विजिट करे:

1. <http://www.skilldevelopment.gov.in/assets/images/PMKVY%20Scheme%20booklet.pdf>
2. <http://pmkvyofficial.org/Index.aspx>

**आवास
&
अन्य सेवाएँ**

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना

(इंदिरा आवास योजना)

वेबसाइट : www.iay.nic.in/

यह योजना भारत में ग्रामीण गरीबों के लिए आवास उपलब्ध कराने के लिए करना है। यह लाभ के लिए अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, मुक्त बंधुआ मजदूरों, अल्पसंख्यकों और गैर अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के बीपीएल श्रेणी में ग्रामीण परिवारों, विधवाओं को लक्ष्य बनाता है और अगली के परिजनों रक्षा कार्मिकों / अर्धसैनिक बलों कार्रवाई में मारे गए, पूर्व सैनिकों और के लिए।

लाभ :

1. घर के निर्माण के लिए 1.20 लाख
2. शौचालयों के निर्माण के लिए 12,000
3. एक लाभार्थी 70,000 रुपये के ऋण के रूप में अच्छी तरह से ले सकते हैं, ऊपर लाभ के साथ साथ।

PMGAY योजना के अंतर्गत कैसे लाभ पा सकते हैं:

जिला पंचायत की देखरेख में ग्राम पंचायत परिवारों को इस योजना के तहत मकान दिए जाने हैं की एक सूची बनाता है। दो अलग-प्रतीक्षा सूचियों रखा जाता है, गैर-अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए और दूसरा। लाभार्थियों आवंटित नंबर करने के लिए सीमित है, सूची में वरिष्ठता के क्रम में बीपीएल सूची के आधार पर तैयार की स्थायी इंदिरा आवास योजना प्रतीक्षा सूची से चयन किया जाएगा।

उम्मीदवारों को इंदिरा आवास योजना घर के लिए आवेदन करने के बाद आवेदन पत्र भरने आवेदन करना होगा। आवेदन जिला कार्यालय को भेजा जाएगा। जिला स्तर के अधिकारी अपने घर के लिए फंड का अनुमोदन कर दिया जाएगा। उसके बाद क्या आपका फंड आपके बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

रुपये का भुगतान :

1. पहली किस्त स्वीकृति आदेश के साथ-साथ आवास दिवस पर दी जानी चाहिए। यह इकाई लागत का 25% से अधिक नहीं होना चाहिए।
दूसरी किस्त लिंटर पूरा होने पर मिलना । यह इकाई लागत का 60% से कम नहीं होना चाहिए।
2. तीसरी किस्त के बाद ही स्वच्छ शौचालय सहित घर का निर्माण किया जायेगा

ट्रैकिंग और प्रगति की निगरानी :

उम्मीदवार आवेदन की स्थिति की जाँच वेबसाइट पर कर सकते हैं: <http://iay.nic.in/netiay/Beneficiary.aspx>

सुधार हेतु शिकायत :

1. Written आवेदन ब्लॉक स्तर पर B.D.O को प्रस्तुत की जा सकती है।
2. जिलाधिकारी को एक आवेदन ब्लॉक स्तर पर विफलता के मामले में दिया जा सकता है

विस्तृत जानकारी के लिए लग इन करे <http://rural.nic.in/sites/downloads/programmes-schemes/prog-schemes-ruralhousing-iaygd2.pdf>

प्रधानमंत्री जन-धन योजना

वेबसाइट : <http://www.pmjdy.gov.in/>

प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) वित्तीय समावेशन के लिए एक किफायती ढंग से वित्तीय सेवाओं, अर्थात्, बैंकिंग / बचत और जमा खातों, प्रेषण, ऋण, बीमा, पेंशन के लिए उपयोग सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय मिशन है।

किसी भी बैंक शाखा या व्यापार संवाददाता (बैंक Mitr) आउटलेट में खाता खोला जा सकता है। पीएमजेडीवाई खातों शून्य शेष के साथ खोला जा रहा है। हालांकि, खाता धारक चेक बुक प्राप्त करना चाहती है, तो वह / वह न्यूनतम शेष मानदंडों को पूरा करना होगा।

खाता खोलवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज :

- आधार कार्ड / आधार संख्या उपलब्ध है। फिर कोई अन्य दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं होती है पता बदल गया है, तो वर्तमान पते के एक स्व प्रमाणन के लिए पर्याप्त है।
- आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है, तो निम्न आधिकारिक वैध दस्तावेज (OVD) में से किसी एक की आवश्यकता है: मतदाता पहचान कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट और नरेगा कार्ड। इन दस्तावेजों को भी अपने पते होते हैं, तो यह पहचान और पते के प्रमाण के रूप में दोनों की इस्तेमाल कर सकते हैं।
- यदि व्यक्ति को आधिकारिक तौर पर वैध ऊपर उल्लेख दस्तावेजों में से कोई भी किसी के पास नहीं है, लेकिन यह बैंकों द्वारा 'खाता नहीं खोला जाता है तो , वह एक बैंक खाता निम्न दस्तावेजों में से किसी एक को जमा करके खोल सकते हैं:
 - i. केन्द्रीय / राज्य सरकार के विभागों, सांविधिक / नियामक अधिकारियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए गए आवेदक की तस्वीर के साथ पहचान पत्र।
 - ii. पत्र व्यक्ति की विधिवत अभिप्रमाणित तस्वीर के साथ, एक राजपत्र अधिकारी द्वारा जारी किए गए।

प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत विशेष लाभ

- i. जमा पर ब्याज।
- ii. एक लाख रुपये तक का बीमा कवर
- iii. कोई न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता नहीं है।
- iv. योजना रुपये का जीवन बीमा कवर प्रदान करते हैं। 3000/- लाभार्थी की मृत्यु पर, देय पात्रता शर्त की पूर्ति के अधीन।
- v. भारत भर में पैसे की आराम से ट्रांसफर
सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों इन खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मिल जाएगा।

सुधार हेतु शिकायत :

खाता खोलने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है या उचित प्रतिक्रिया प्राप्त करने में सक्षम नहीं होने के मामले में, आवेदक निम्नलिखित विकल्पों में से चुन सकते हैं:

1. संपर्क बैंक प्रबंधक से मिलकर और इस मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं
2. राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन पर कॉल: 1800-180-1111, 1800-11-0001
3. Visit <http://www.pmjdy.gov.in/> and head to "Contact Us" section
4. State-wise helplines can be accessed from here
<http://www.pmjdy.gov.in/contactinfo?id=TollFreeBlock>

सामाजिक सुरक्षा

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013

Website : <http://pdsportal.nic.in/>

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) :

यह भारत सरकार द्वारा अधिसूचित एक कानून है। इसके माध्यम से गरीबों को गरीबों को कम कीमत पर कुछ मात्रा में खाद्यान तथा कुछ अन्य वस्तुएँ उपलब्ध कराने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की गयी। 1997 से इसका नाम ल लखित सार्वजनिक वितरण प्रणाली TPDS कर दिया गया। इसमें गरीबों को और अधिक रूप से फोकस किया गया। एवं BPL तथा APL की दो श्रेणिया बनायीं गयीं। सन 2000 में गरीबों में भी और अधिक गरीबों को एक करोड़ परिवारों को चुना गया। इन्हें अन्त्योदय परिवार कहा गया। इन परिवारों को 2 रूपए किलो गेहूँ और 3 रूपए किलो चावल की दर से प्रतिमाह राशन दिया जाता है। इस योजना को अन्त्योदय योजना कहा जाता है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के कुछ प्रावधान :-

- इसमें देश की कुल 67% जनसँख्या को शामिल किया गया है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 75 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों की 50 प्रतिशत तक की आबादी को लाभ मिलेगा।
- 2 रूपए किलो गेहूँ और 3 रूपए किलो चावल और मोटे अनाज 12 रूपए किलो की दर से दिए जायेंगे।
- प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 5 किलो अनाज दिया जायेगा।
- कार्ड परिवार के महिला सदस्य के नाम पर बनेगा और यदि महिला नहीं है टी परिवार के बुजुर्ग के नाम पर।
- राशन की दुकानों का सन्चालन स्वयं सहायता समूहों को दिया जायेगा अथवा किसी पंचायत समिति अथवा सहकारी संगठन को दिया जायेगा।
- यदि किसी को अनाज नहीं मिलता है तो उसे इसके बदले भत्ता दिया जायेगा।
- अनाज संघ सरकार देगी और वितरण राज्य सरकार करेगी।
- हर जिले में शिकायत निवारण के लिए एक जिला शिकायत निवारण अधिकारी होगा, जो लोगों की शिकायतों को सुनेगा।
- राज्य स्तर पर एक राज्य खाद्य आयोग होगा जो इस कानून को लागू कराएगा और जिला शिकायत अधिकारी के विरुद्ध सुनवाई करेगा।
- 0-6 साल के बच्चों को खाना आंगनवाडी में मिलेगा और 6-14 साल के बच्चों को खाना स्कूल में मिलेगा
- मातृत्व सहयोग योजना को भी इसी में जोड़ दिया गया है, इसके तहत महिला को बच्चे के जन्म पर 6000 रूपए की सहायता मिलती है।

राशन कार्ड बनाने का तरीका (स्वयं जा कर):

1. अपने सर्किल ऑफिसर या SDO से एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त करें।
2. आवेदक को एक फोटो, जी कि MLA, MP, Gazetted Officer या फिर नगर पालिका या पंचायत से attest करा लें। आवेदक को अपने पते का सबूत (address proof) की कॉपी भी जमा करनी है। यदि आवेदक के पास कोई पुराना राशन कार्ड है तो उसे जमा करना होगा।
3. फॉर्म को पूरी तरह से भरने एवं सभी दस्तावेज़ संलग्न करने के बाद इसे अपने नजदीकी राशन दफ्तर में जमा करा दें।

ऑनलाइन राशन कार्ड बनाने का तरीका:

1. अपने राज्य के सावर्जनिक वितरण प्रणाली की आधिकारिक वेबसाइट पर जा कर "Ration Card Apply On-line" का विकल चुने
2. नीचे दिए गये लिंक की सहायता से आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते। यहाँ पर अपनी पारिवारिक जानकारी ठीक से भरें।
4. इसके बाद ज़रूरी दस्तावेज़ upload कर दें तथा इसका प्रिंट लेकर अपने नजदीकी राशन दफ्तर में जमा करा दें।

आवश्यक दस्तावेज़:

1. स्व-घोषणा और प्रधान / वार्ड पार्षद से प्रमाणपत्र
2. जन्म तिथि के प्रमाण (उदाहरण, जन्म प्रमाण पत्र या कक्षा-X का प्रमाणपत्र)
3. निवास का प्रमाण
4. परिवार के मुखिया का फोटो, जो कि घर के मुखिया द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए
5. आधार कार्ड

Grievance Redressal (शिकयत का प्रावधान):

बिहार:

वेबसाइट के द्वारा : <http://lokshikayat.bihar.gov.in/>

BPGRS Helpline No: **0612-2201000**

उत्तर प्रदेश:

वेबसाइट के द्वारा: http://fcs.up.nic.in/upfood/accounts/jsk/user/Complain_New_Public.aspx

Toll-Free Helpline: **1800 1800 150**

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

उज्ज्वला योजना के अंतर्गत भारत सरकार एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराएगी। एलपीजी कनेक्शन केवल गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों से सम्बंधित महिलाओं को दिया जाएगा।

Website: <http://www.pmujjwalayojana.in/>

Helpline No.: 18002666696

उज्ज्वला योजना के लिए पात्रता:

- आवेदक की उम्र 18 साल या इससे अधिक होनी चाहिए
- आवेदक द्वारा दी गयी सभी जानकारी को SECC – 2011 डेटा के साथ मिलाया जाएगा तथा उसके पश्चात ही यह निर्णय लिया जाएगा की आवेदक योजना का पात्र है या नहीं
- आवेदक BPL परिवार से सम्बन्ध रखने वाली महिला ही होनी चाहिए, पुरुष इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते.
- आवेदक के घर में किसी के नाम से पहले से ही कोई भी LPG कनेक्शन नहीं होना चाहिए
- आवेदक के पास BPL प्रमाण पत्र अथवा BPL राशन कार्ड का होना आवश्यक है

योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची

- पंचायत अधिकारी या नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा अधिकृत BPL प्रमाणपत्र
- BPL राशन कार्ड
- आधार कार्ड
- एक पासपोर्ट साइज फोटो
- आवास पंजीकरण दस्तावेज
- बैंक खाता की जानकारी

प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना के लिए कैसे आवेदन करें

योजना के लिए आवेदन करना बहुत ही आसान है। जो भी इच्छुक उम्मीदवार योजना का लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें योजना का आवेदन पत्र भरकर अपने नजदीकी LPG वितरण केंद्र में जमा कराना है।

- उज्ज्वला योजना का आवेदन पत्र LPG वितरण केंद्र से मुफ्त में प्राप्त किया जा सकता है अथवा ऑनलाइन भी डाउनलोड किया जा सकता है।
- आवेदन पत्र के अंदर ही आवेदक यह चयन कर सकता है कि उसे 14.2 किलो वाला गैस सिलिंडर चाहिए या फिर 5 किलो वाला।

प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना के लिए आवेदन पत्र उज्ज्वला योजना के लिए आवेदन करने के लिए निर्धारित आवेदन पत्र अपने नजदीकी एलपीजी वितरण केंद्र से मुफ्त में प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन पत्र ऑनलाइन भी डाउनलोड किया जा सकता है उसके बाद प्रिंट लेकर भरा जा सकता है।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)

Website: <http://nsap.nic.in/>

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को हुई। यह संविधान के अनुच्छेद 41 एवं 42 के "नीति-निर्देशक" तत्वों के अनुकरण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह कार्यक्रम गरीब परिवारों में वृद्धावस्था, जीविकोपार्जन करने वाले मुख्य सदस्य की मृत्यु तथा मातृत्व जैसी स्थितियों में लाभ के लिए सामाजिक सहायता की एक राष्ट्रीय नीति प्रस्तुत करता है।

इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना:

इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक की आयु वाले भारतीय जो कि गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं उन्हें पेंशन देने का प्रावधान है।

पात्रता: सभी व्यक्ति जो की गरीबी रेखा से नीचे हों तथा उनकी आयु 59 वर्ष से अधिक हो।

पेंशन राशि: 60-79 वर्ष की आयु तक के लोगों के लिए 200 रुपये तथा 80 वर्ष से अधिक की आयु वाले व्यक्तियों के लिए 500 रुपये का प्रावधान है।

इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना:

पात्रता: विधवा जो की गरीबी रेखा से नीचे हों तथा उनकी आयु 40 वर्ष से अधिक हो।

पेंशन राशि: 80 वर्ष से कम आयु वाली विधवा के लिए 300 रुपये तथा 80 वर्ष से अधिक की आयु वाली विधवा के लिए 500 रुपये का प्रावधान है।

इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना:

पात्रता: 18 वर्ष से अधिक आयु वाला व्यक्ति जिस को 80% या अधिक विकलांगता हो।

पेंशन राशि: 80 वर्ष से कम आयु वाले विकलांग व्यक्तियों के लिए 300 रुपये तथा 80 वर्ष से अधिक की आयु वाले विकलांग व्यक्तियों के लिए 500 रुपये का प्रावधान है।

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (एनएफबीएस)

इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे की जीवन बसर करने वाले परिवार में, जीविकोपार्जन करने वाले प्रमुख सदस्य की मृत्यु पर परिवार को परिवारिक लाभ के रूप में एकमुश्त राशि प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत निम्नांकित शर्तों पर केंद्रीय सहायता उपलब्ध है:

- पुरुष या महिला जीविकोपार्जक, जो परिवार का सदस्य हो तथा संपूर्ण परिवार की आय में उसकी आय का एक बड़ा योगदान हो।
- मृत्यु के समय ऐसे प्रमुख जीविकोपार्जक की उम्र 18 से 65 वर्ष के बीच हो।
- भारत सरकार द्वारा तय मानदंडों के अनुसार वह परिवार गरीबी रेखा से नीचे वाला हो।

- प्रमुख जीविकोपार्जक की मृत्यु चाहे, प्राकृतिक कारण से अथवा दुर्घटनावश हो, परिवार को 10,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी।
- परिवार लाभ की यह राशि परिवार के उस सदस्य को प्रदान की जाएगी, जिसे स्थानीय पूछताछ के आधार पर घर का मुखिया माना जाएगा।

अन्नपूर्णा योजना:

यह योजना उन वृद्ध व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करती है जो की इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में सम्मिलित नहीं हो पाते। इस योजना के अंतर्गत 10 किलो अनाज (गेहूँ या चावल) प्रति लाभार्थी प्रति माह मिलता है।

चयन और नामांकन:

इस योजना के लिए चयन ग्राम सभा में होता है तथा ग्राम पंचायत लाभार्थी कार्डों का वितरण करती है।

योजना का नाम	आयु समूह	आयु प्रमाण पत्र	आय प्रमाण पत्र	फ़ोटो	BPL ID No	अन्य
इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	60 अं अधिक	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	-
इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	40 – 59 के बीच	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	मृत्यु प्रमाण पत्र
इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना	18-59 के बीच	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	विकलांगता प्रमाण पत्र
राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना	Between 18-39	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	मृत्यु प्रमाण पत्र अं BPL प्रमाण पत्र
अन्नपूर्णा योजना	Above 70	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	मान्य यदि IGNOAP योजना में सम्मिलित नहीं

उपरोक्त दस्तावेजों के साथ साथ बैंक खाता तथा आधार कार्ड भी अनिवार्य है।

इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (IGMSY)

इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के अंतर्गत गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिलाओं को कुछ शर्तों के साथ मातृत्व लाभ पहुंचाए जाते हैं जिनका उद्देश्य उनके स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार लाना है ताकि दूध पिलाने वाली और गर्भवती स्त्रियों के माहौल में सुधार किया जा सके और इसके लिए उन्हें कद प्रोत्साहन राशि दी जा सके। इसे समन्वित बाल विकास सेवाओं की योजना के मंच से लागू किया जा रहा है।

लाभ:

इस योजना के अंतर्गत गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं को नकद राशि के रूप में सहायता दी जाती है।

- यह लाभ 19 वर्ष से अधिक आयु की महिला को प्रथम दो जीवित शिशुओं के जनम पर मिलता है।
- 6000 रुपये, 3000 की दो किस्तों के रूप में खाते के अन्दर जमा की जाती हैं।
- पहली किस्त तीसरी तिमाही के दौरान, जब गर्भावस्था AWC या हेल्थ सेंटर में दर्ज कराई जाती है तब मिलती है।

दूसरी किस्त जनम के 6 महीने बाद जारी की जाती है। इसके लिए निम्न का किआ जाना अनिवार्य है:

- जनम का नामांकन करना
- शिशु को BCG, DPT I, II एवं III की खुराक और 3 OPV की खुराक मिली हो।
- माँ ने कम से कम 3 बार IYCF काउंसलिंग ली हो

पात्रता:

1. गर्भवती महिला जिसकी आयु 19 वर्ष या अधिक हो
2. ये उसका पहला या दूसरा शिशु हो
3. महिला या उसका पति सरकारी नोकरी न करता हो

आवेदन कैसे करें:

1. जैसे ही गर्भावस्था के बारे में पता हो जाता है, आंगनवाड़ी पर रजिस्टर करें
2. एक बैंक / पोस्ट ऑफिस खाता खोलें, यहीं पर नकद लाभ स्थानांतरित किया जायेगा
3. आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बारे में पूछें
4. यहसुनिश्चित करें कि प्राप्त सेवाओं एमसीपी कार्ड में चिह्नित किया जा रहा है

अल्पसंख्यकों के लिए क्षमता विकास

नई रौशनी

वेबसाइट : <http://nairoshni-moma.gov.in/>

हेल्पलाइन -1800-11-2001

नई रौशनी योजना गांव / इलाके में रहने वाले अन्य समुदायों से अपने पड़ोसियों सहित अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के नेतृत्व विकास के लिए करना है, महिलाओं को आत्मविश्वास जगाने के लिए है

यह प्रयास प्रोत्साहित अल्पसंख्यक महिलाओं समाज में अपनी हिस्सेदारी की दावा कर सकती है उनके घर और समुदाय के दायरे से बाहर जाने का भी मौका मिलेगा नेतृत्व क्षमता का भी विकास होगा इसके अलावा महिलाओं के प्रोत्साहन और आय के श्रोत बढ़ाने के लिए किया जा रहा है

"नई रौशनी" कार्यक्रम / योजना गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ), नागरिक समाज और सरकारी संस्थानों से देश भर में की मदद से कार्यान्वित किया जाता है। यह महिलाओं के नेतृत्व, शैक्षिक कार्यक्रम, स्वास्थ्य और स्वच्छता, स्वच्छ भारत, वित्तीय साक्षरता, जीवन कौशल, महिलाओं के कानूनी अधिकारों, डिजिटल साक्षरता और सामाजिक और व्यवहार में बदलाव के लिए वकालत, विभिन्न प्रशिक्षण मॉड्यूल शामिल हैं।

उद्देश्य:

सशक्त बनाने और अल्पसंख्यक महिलाओं के बीच आत्मविश्वास का निर्माण, एक ही गांव / इलाके में रहने वाले अन्य समुदायों से अपने पड़ोसियों सहित, सरकार प्रणालियों, बैंकों और सभी स्तरों पर अन्य संस्थानों के साथ बातचीत के लिए ज्ञान, उपकरण, और तकनीकों को उपलब्ध कराना, नेतृत्व की भूमिका निभाने को विकसित करने और उनके अधिकारों को परिभाषित करने के लिए, सामूहिक या व्यक्तिगत रूप से, उनके जीवन में सुधार लाने और रहने की स्थिति के लिए भारत सरकार के विकास के लाभों के बारे में उनकी वजह से हिस्से का दावा इसके अलावा सेवाओं, सुविधाओं, कौशल, और अवसरों तक पहुँचने में मदद करना

पात्रता:

1. महिलाओं अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित होना चाहिए
2. महिलाओं की आयु सीमा 65 वर्ष से 18 वर्ष होनी चाहिए।

लाभ :

इस योजना का लाभ महिलाओं को प्रशिक्षण के संदर्भ में हैं। नीचे दिए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम:

1. गैर आवासीय गांव / शहरी इलाके में नेतृत्व विकास प्रशिक्षण।
2. आवासीय नेतृत्व विकास प्रशिक्षण।
3. विकास और मार्गदर्शन का प्रशिक्षण ।
4. समवर्ती निगरानी और रिपोर्टिंग प्रशिक्षण।
5. महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न कार्यशाला।

आवेदन कैसे करें:

मंत्रालय द्वारा समाचार पत्र, वेबसाइटों और अन्य वेब प्लेटफार्मों में प्रकाशित विज्ञापनों में दी गयी सूचना पर ध्यान दें जिला कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर या उप संभागीय अधिकारी / खंड विकास अधिकारी को संपर्क किया जा सकता है

अधिक जानकारी के लिए लाग इन करे <http://nairoshni-moma.gov.in/>

मल्टी सेक्टरल डेवलपमेंट प्रोग्राम (MSDP)

वेबसाइट: <http://msdp.gov.in:8080/msdp/>

बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) सचचर समिति की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई के लिए एक विशेष पहल के रूप में कल्पना की थी। यह एक केन्द्र प्रायोजित योजना है (CSS) 11 वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत में सरकार ने मंजूरी दे दी है और 90 अल्पसंख्यक बहुल जिले (MCDs) में वर्ष 2008-09 में शुरू किया गया। यह सामाजिक-आर्थिक बुनियादी ढांचे के निर्माण और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराकर अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के विकास को संबोधित करने के लिए विकास की पहल है।

उद्देश्य:

कार्यक्रम अल्पसंख्यकों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने और लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और 12 वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान की पहचान अल्पसंख्यक आबादी वाले इलाकों में असंतुलन को कम करने के लिए उन्हें बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

परियोजनाओं एमएसडीपी के तहत लिया जा शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पक्के आवास, सड़कों के लिए बेहतर बुनियादी ढांचे के प्रावधान से संबंधित होगा, पीने के पानी, योजनाओं के अलावा। आय सृजन के अवसर पैदा करने के लिए है

इस योजना का उद्देश्य सरकार की मौजूदा योजनाओं में कमी को खत्म करने के लिए किया जाएगा। भारत के अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराना

कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए क्षेत्र:

- एमएसडीपी के अंतर्गत प्लानिंग की इकाई जिला के बदले ब्लॉक को रखा गया है
- 25% अल्पसंख्यक 11 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाया पिछड़ेपन के मापदंडों के आधार पर चयनित पिछड़े जिलों में गिरने की आबादी का एक न्यूनतम के साथ ब्लॉक, पिछड़े अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉकों (एमसीबी) के रूप में पहचान की जाएगी।

पिछड़ेपन को मापने का पयमाना, ग्यारेवे पंचवर्षीय प्लान के तहत निम्न को रखा गया है:

(अ) धर्म विशेष के लोगो के लिए जिला स्तर पर सामाजिक-आर्थिक संकेत :

- i. साक्षरता दर
- ii. महिला साक्षरता दर
- iii. कार्य भागीदारी दर
- iv. महिला काम भागीदारी दर

(ब) : जिला स्तर पर बुनियादी सुविधाओं के लिए

- i. पक्के दीवारों के साथ घरों की प्रतिशत
- ii. सुरक्षित पीने के पानी के साथ घरों का प्रतिशत
- iii. बिजली के साथ घरों का प्रतिशत

A total of 710 such minority concentration blocks falling in 155 backward districts have been identified on the basis of data from Census 2001.

जबकि एमएसडीपी के लिए योजना तैयार करने, राज्य Govts./UTs शिक्षा, स्वास्थ्य और अल्पसंख्यकों के लिए कौशल प्रशिक्षण सहित कौशल विकास को प्राथमिकता देना होगा। राज्य को दिए गए आवंटन के कम से कम 10% अल्पसंख्यक युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण से संबंधित गतिविधियों के लिए निर्धारित किया जाएगा।

प्रधानमंत्री 15 सूत्रीय कार्यक्रम

प्रधानमंत्रियों के 15 सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षा के लिए अवसर बढ़ाने और आर्थिक गतिविधियों और रोजगार, मौजूदा और नई योजनाओं में स्वरोजगार के लिए बढ़ाया ऋण सहायता, और राज्य और केंद्र सरकार की नौकरियों में भर्ती के माध्यम से अल्पसंख्यकों के लिए एक समान हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए है उन जिलों में अल्पसंख्यक समुदाय की काफी आबादी है।

15 सूत्री कार्यक्रम में 'अल्पसंख्यक आबादी' ऐसे जिलों / उप जिला इकाइयों जहां कि यूनिट की कुल जनसंख्या का कम से कम 25% अल्पसंख्यक समुदायों के अंतर्गत आता है करने के लिए लागू होता है।

इन 15 सूत्र इस प्रकार हैं:

1. एकीकृत बाल विकास सेवा में समान उपलब्धता (आईसीडीएस)
2. स्कूल शिक्षा के लिए उपयोग में सुधार
3. उर्दू शिक्षण के लिए अधिक से अधिक संसाधनों की व्यवस्था
4. मदरसा का आधुनिकीकरण
5. अल्पसंख्यक समुदायों के मेधावी छात्रों के लिए शिक्षा छात्रवृत्ति
6. मौलाना आजाद शिक्षा फाउंडेशन के माध्यम से शैक्षिक बुनियादी ढांचे में सुधार
7. स्व-रोजगार और गरीबों के लिए मजदूरी रोजगार
8. तकनीकी प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल का उन्नयन
9. आर्थिक गतिविधियों के लिए बढ़ी ऋण सहायता
10. भर्ती राज्य और केन्द्रीय सेवाओं के लिए
11. ग्रामीण आवास योजना में समान हिस्सेदारी
12. मलिन बस्तियों की हालत में सुधार अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते
13. सांप्रदायिक घटनाओं की रोकथाम के उपाय
14. सांप्रदायिक अपराधों के लिए अभियोजन
15. सांप्रदायिक दंगों के पीड़ितों के पुनर्वास

अधिक जानकारी के लिए विजिट करे :

http://minorityaffairs.gov.in/sites/default/files/amended_guidelines.pdf

बेहतर परिणामों के लिए राज्य की योजनाये

समाजवादी पेंशन योजना (उत्तर प्रदेश)

Website: <http://sspy-up.gov.in/IndexSW.aspx>

Helpline No. 18004190001

समाजवादी पेंशन योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जनि वाली एक योजना है जो की गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तिओं को आर्थिक सहायता प्रदान करती है।

कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी?

इस योजना के तहत चयनित परिवार को मासिक 500 रुपये की पेंशन दी जाएगी। हर साल पूरा होने के बाद 50 रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी लेकिन पेंशन की अधिकतम राशि 750 से बढ़ नहीं पाएगी

पात्रता:

BPL परिवारों जो की उत्तर प्रदेश के रहिवासी हैं उन को सुविधा का लाभ मिलेगा लेकिन पात्रता के लिए कुछ शर्तें भी निर्धारित की गई हैं

- विधवा, विकलांग और वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ ले रहे लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- जिन परिवारवालों के पास 0.5 हेक्टेयर सिंचित या 1.0 हेक्टेयर सिंचित और 2.0 हेक्टेयर असिंचित भूमि उपलब्ध हैं, ऐसे लोगों को भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- अगर परिवार में किसी भी प्रकार का मोटराइज्ड वाहन और मशीनीकृत कृषि उपकरण जैसे जीप, कार, श्री व्हीलर, स्कूटर, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, पावर टेलर, थ्रेशर या हार्वेस्टर है, तो ऐसे परिवार वालों को भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- जिन परिवार का कोई सदस्य सरकारी, गैर सरकारी, एनजीओ, निजी संगठनों में नियमित वेतन भोगी कर्मचारी है, उसे भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- जो सदस्य शासकीय और अर्द्धशासकीय सेवाओं से रिटायर हुए हों और जिन्हें पेंशन की सुविधा प्राप्त हो रही हो, उन्हें भी समाजवादी पेंशन नहीं मिलेगी।
- शहरी क्षेत्र में परिवार के स्वामित्व में 25 वर्ग मीटर कवर्ड एरिया से ज्यादा का पक्का आवास होने पर भी उन्हें सरकार लाभार्थी नहीं मान रही है।

समाजवादी पेंशन के मुख्य प्रावधान

- 500 रुपये की मासिक पेंशन
- पेंशन की राशि में प्रति वर्ष 50 रुपये की वृद्धि 750 रुपये तक
- परिवारों का चयन ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा
- बैंक खता होना अनिवार्य है तथा राशि खाते में ही ट्रान्सफर की जाएगी

आवेदन की प्रक्रिया

कोई भी पात्र परिवार ऑनलाइन आवेदन कर सकता है:

- <http://sspy-up.gov.in> पर लॉग इन करें
- समाजवादी पेंशन का फॉर्म डाउनलोड करें
- फॉर्म भरने के बाद ज़रूरी कागज़ात के साथ upload करें

सूचना का अधिकार अधिनियम - 2005

Website : <https://rtionline.gov.in/>

भारत सरकार ने किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के कार्यकरण में पारदर्शिता और जबावदेही को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक प्राधिकरणों के नियंत्रण के अन्तर्गत सूचना तक पहुंच पाने हेतु सूचना के अधिकार (आर टी आई) की व्यावहारिक व्यवस्था को उल्लिखित करने के लिए "सूचना का अधिकार अधिनियम 2005" अधिनियम बनाया है।

सूचना हेतु कौन पूछ सकता है?

कोई भी नागरिक निर्धारित शुल्को सहित लिखित रूप में आवेदन करके या अंग्रेजी / हिंदी / राज्य की राजभाषा में इलैक्ट्रॉनिक जरियों के माध्यम से जिसमें आवेदन किया जा रहा है सूचना हेतु अनुरोध कर सकता है।

सूचना कौन प्रदान करेगा?

प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण विभिन्ना स्तरों पर एक केन्द्रीय सहायक जन सूचना अधिकारी (सी ए पी आई ओ) पदनामित करेगा जो जनता से सूचना हेतु अनुरोध प्राप्त करेगा। सभी प्रशासनिक ईकाइयों/कार्यालय में केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी जनता को आवश्यक सूचना प्रदान करने की व्यवस्था करेगा। सूचना हेतु आवेदन पत्र /अनुरोध को 30 दिनों की अवधि के भीतर सूचना प्रदान करके अथवा अनुरोध को रद्द करते हुए निपटान किया जाना चाहिये।

सूचना के अधिकार कानून के बारे में कुछ खास बातें:

सूचना का अधिकार अधिनियम हर नागरिक को अधिकार देता है कि वह -

- सरकार से कोई भी सवाल पूछ सके या कोई भी सूचना ले सके.
- किसी भी सरकारी दस्तावेज की प्रमाणित प्रति ले सके.
- किसी भी सरकारी दस्तावेज की जांच कर सके.
- किसी भी सरकारी काम की जांच कर सके.
- किसी भी सरकारी काम में इस्तेमाल सामग्री का प्रमाणित नमूना ले सके

आवेदन का प्रारूप:

आवेदन का कोई निश्चित प्रारूप नहीं है तथा आवेदन एक कोरे कागज़ पर भी किया जा सकता है। आवेदक प्रथमापत्र में अपना नाम, पता और फ़ोन नंबर अवश्य लिखे। सूचना मांगने का कारण बताना आवश्यक नहीं है।

आवेदन की फीस

जो नागरिक सूचना प्राप्त करना चाहता है वह अपने आवेदन के साथ 10 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट या पोस्टल आर्डर संगलग्न करके भेज सकता है। गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्ति के लिए ये सेवा निशुल्क है।

आरटीआई आवेदन कैसे करें:

आपको यह साबित करना होगा की, जो आरटीआई आवेदन आपने किया है उसे पीआईओ द्वारा प्राप्त किया गया है। एक आरटीआई आवेदन निम्न प्रकार से जमा किया जा सकता है:

- **व्यक्तिगत रूप से दफ्तर में जा कर:** यह सुनिश्चित कर लें की आप अपने आवेदन एवं फीस भुगतान के सबूत की प्रति पर हस्ताक्षर, तारीख एवं मोहर अवश्य डलवा लें।
- **रजिस्टर्ड एवं स्पीड पोस्ट द्वारा :** आप अपने आवेदन को भेजते समय मिलने वाली रसीद को संभल कर रखें, इसकी सहायता से आप भारतीय डाक की वेबसाइट से अपने आवेदन के कार्यालय तक पोहोचने तक की स्थिति का भी पता लगा सकते हैं।

वैकल्पिक रूप से आप RTI आवेदन (केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले विभागों के लिए) ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। इसके लिए आप <https://rtionline.gov.in/> पर लोग इन करें।

आरटीआई अधिनियम के तहत जो जानकारी प्राप्त की जा सकती उसकी समय सीमा क्या है?

आरटीआई अधिनियम के तहत विभिन्न समय सीमा निर्धारित की गई है, जिसके अंतर्गत सूचना प्राप्त किया जा सकता है। ये समय सीमा अधिनियम द्वारा की निर्धारित है, और ऐसा न किया जाने पर एक आरटीआई आवेदक राहत के लिए उपयुक्त अधिकारियों से संपर्क कर सकता है।

आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत निम्न समयसीमा निर्धारित हैं:

- जीवन और स्वतंत्रता से जुड़े मामलों की सूचना को PIO को 48 घंटों के अन्दर प्रदान करना है।
- PIO को आवेदन प्राप्त से लेकर 30 दिनों के अन्दर उत्तर देना होता है। यदि किसी अन्य विभाग में डरा 6(3) के अंतर्गत स्थानांतरित करना है तो यह कार्य 5 दिनों के अन्दर किया जाना चाहिए।
- यदि आवेदक को प्रथम अपील करनी है तो अपील जवाब मिलने की तारीख या जब जवाब मिलना था, उस तारीख से लेकर 30 दिनों के अन्दर करना होगा।
- प्रथम अपीलेट अथॉरिटी को अपील किये जाने से 30 दिनों के अन्दर आर्डर पास करना होता है, अधिकतम 45 दिन यदि विलम्ब का कारन लिखित में दिया जाये।
- आवेदक को CIC/SIC के समक्ष द्वित्ये अपील करने के लिए 90 दिनों का समय होता है जब आर्डर पास हुआ तब से या जब आर्डर पास होना था तब से।

लोक शिकायत निवारण पोर्टल (PG PORTAL)

Website: <http://pgportal.gov.in/Default.aspx>

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग देश में नागरिक केन्द्रित प्रशासन के लिए नीतिगत दिशानिर्देश तैयार करने के लिए नोडल एजेंसी है। नागरिकों के निवारण शिकायतों की शिकायतों, विभाग की सबसे महत्वपूर्ण पहल की जा रही है, डीएआर एंड पीजी नागरिकों के प्रभावी और समय पर निवारण / निपटान के लिए जनता के शिकायत निवारण तंत्र है

लोक सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्टता लाने के लिए और प्रभावी ढंग से विभिन्न मंत्रालयों और सरकार के विभागों के साथ समन्वय और शिकायतों के कारणों को खत्म करने के लिए कोशिश के द्वारा एक सार्थक तरीके से नागरिकों की शिकायतों का निवारण करने के लिए।

यह भारत सरकार पोर्टल की अपनी शिकायतों के निवारण के लिए एक मंच के साथ नागरिकों को प्रदान करने के उद्देश्य से है। आप देश में किसी भी सरकार ने संगठन के खिलाफ कोई शिकायत है तो आप अपनी शिकायत यहां दर्ज करा सकता है जो मंत्रालय राज्य सरकार तत्काल निवारण के लिए / विभाग / के लिए जाना होगा। संबंधित पक्षों

कैसे प्रयोग करे :

किसी भी अनसुलझे शिकायत के मामले में, उम्मीदवार <http://pgportal.gov.in/Default.aspx> पर लॉग इन कर सकते और संबंधित मंत्रालय या विभाग से एक शिकायत दर्ज कर सकते हैं। वेबसाइट हिंदी में है और साथ ही अंग्रेजी में उपलब्ध है।

वैकल्पिक रूप से, Android उपयोगकर्ताओं का उपयोग कर नीचे QR कोड देना द्वारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं:



तहसील दिवस (उत्तर प्रदेश)

Website: <http://tehsildivas.up.nic.in/tehdiv/default.aspx>

तहसील दिवसों में जन सामान्य सरकार से संबंधित अपनी समस्याओं को लेकर समस्त तहसील स्तरीय अधिकारियों से मिल सकते हैं। प्रत्येक आवेदनकर्ता को उसके आवेदन की एक रसीद दी जाती है, जिसमें दस अंकों का क्रमांक अंकित रहता है। प्रदेश में प्राप्त सभी आवेदनों पर की गयी कार्यवाही का विवरण पूर्णतः पारदर्शी तरीके से इस वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है, जिनका अवलोकन कोई भी व्यक्ति कर सकता है।

यदि आप अपनी शिकायत के निस्तारण से असंतुष्ट हैं तो निस्तारण का प्रिंट आउट लेकर अपने जिलाधिकारी से किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10-12 बजे के बीच में सम्पर्क कर सकते हैं अथवा पुनः तहसील दिवस में आवेदन दे सकते हैं। कृपया पुनः आवेदन में इस विषय में आप द्वारा दिये गये सभी पूर्व आवेदनों के दस अंकों के क्रमांको का उल्लेख अवश्य करें।

बिहार सार्वजनिक सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011

बिहार सार्वजनिक सेवा का अधिकार अधिनियम, अगस्त 15, को 2011 लागू किया गया। इस कानून के अंतर्गत सरकार और उसके कार्यालयों के लिए यह अनिवार्य बना दिया गया की निर्धारित समय-सीमा के अंदर व्यक्तियों के द्वारा मांगी गई सेवाओं को प्रदान करें। अधिनियम के अधीन प्रशास 30 निकाइयों और डिवीजनों को शामिल किया। नियत 10 तारीख के भीतर कार्य को पूरा न करने के उपरांत अधिकारियों को 500 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक के दंड का सामना कर सकते हैं। संचार एवं प्रौद्योगिकी उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देकर प्रक्रिया को गति प्रदान करने का प्रयास है।

अधिनियम के कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं:

- चुनी गयी प्रशासनिक विषयों से सम्बंधित कार्यों का समय सीमा के अन्दर निवारण
- उपयोग की अभिपुष्टि के लिए रसीद
- व्यक्तिगत मनोनीत प्रशासनिक लोक सेवकों को जिम्मेदार बनाया गया है
- पहले चरण में 10 कार्यालयों में 50 प्रशासनिक अधिकारियों को चुना गया है
 - यदि सेवा समय पर प्रदान नहीं की जाए तो पहले और दूसरे अनुरोधों, और लेखा परीक्षा (ऑडिट) का प्रावधान है 500 • रुपये से लेकर 5000 रुपये तक के दंड का प्रावधान
- र आईटी प्रबंधकों फील्ड स्त •, सहायकों और कार्यकारी सहायक संगठन के विविध स्तरों पर व्यवस्थाएं आवेद • नों की tracking का प्रावधान

प्रमुख लाभ:

- एक सरकारी अस्पताल में तीन दिन में पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी करना होगा।
- बिजली विभाग के छह घंटे के भीतर एक शहरी क्षेत्र ममे बिजली की समस्या का सुधार करना होगा।
- जाति, आय और रहिवासी प्रमाण पत्र दिनों के भीतर जारी किया जाना है। 30
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन के मुद्दों दिनों के भीतर तय किया जाना चाहिए 42
- शैक्षिक संस्थानों द्वारा छात्रवृत्ति योजना के आवेदन का दिनों 30 के भीतर जवाब देना होगा
-

इन सेवाओं का उपयोग करने के लिए, आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग ऑन करें <http://210.212.23.51/rtps/>

इस वेबसाइट पर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, तथा अपने आवेदन को ट्रैक कर सकते हैं

योजनाएँ अवं उनकी स्थानीय एजेंसियां

Scheme	Local/block level	District level
Minority scholarships	Block level facilitator	District Minority welfare officer
OBC scholarship	Block Education officer	District social welfare officer
Quality education	Block Education officer	District education officer
MG NREGA	Block Development Officer, BDO	DRDA Project Officer
NRLM/Aajivika		DRDA Project Officer
National Urban livelihood Mission		
Padho aur seekho		
Skill India		
PM Jan dhan Yojana		
India Awas Yojana	Block Development Officer, BDO	DRDA Project Officer
Ujjawala		
PDS	Block supply officer	District supply officer
ICDS	CDPO	District Programme Officer, ICDS
MDM	Block education officer	District Education Officer
NSAP – pension schemes		District Social Welfare officer
Nai Roshini	Block level facilitator	District Minority welfare officer
MSDP	Block level facilitator	District Minority welfare officer
15-point programme	Block level facilitator	District Minority welfare officer
Right to Information	SDO	District Magistrate
Public Grievance portal	SDO	District Magistrate



C/o Aman Biradari Trust
24, Adhchini,
Major Khazan Singh Building,
Delhi-110017
Phone: 9968996669
Email: misaalfellowship@gmail.com
www.misaal.ngo